

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन , "ए " ब्लॉक, जनपथ , जयपुर- 302005  
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प .4(ई )/अलेसे III लिंक न . 10586 / 1165

दिनांक :- 21.9.2022

श्रीमती रीना जैन, कनि. लेखाकार,

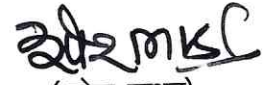
कार्यालय - न्यायाधीश, मोटर दूधटना दावा अधिकरण, डूंगरपुर।

विषय:- अग्रिम अध्ययन की स्वीकृति

संदर्भ:- आपका आवेदन पत्र दिनांक 02.09.2022

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में आपको वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा से वर्ष 2021-2022 में प्रथम वर्ष स्नातकोत्तर भूगोल (स्वयंपाठी के रूप में) की परीक्षा में राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं आपके नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अध्यधीन सम्मिलित होने की अनुमति / स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
2. उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
3. अध्ययन जारी रखने की स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और इस दौरान अन्यत्र स्थानांतरण किया जा सकता है।
4. अध्ययन जारी रखने से दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा / व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
5. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।



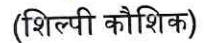
(भूपेश माथुर)  
निदेशक एवं पदेन  
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- प .4(ई )/अलेसे III लिंक न . 10586 / 1165

दिनांक :- 27.9.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 न्यायाधीश, मोटर दूधटना दावा अधिकरण, डूंगरपुर।
- 2 श्रीमती रीना जैन, कनि. लेखाकार कार्यालय न्यायाधीश, मोटर दूधटना दावा अधिकरण, डूंगरपुर।
- 3 निजी सचिव, निदेशक।
- 4 उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

  
(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)